न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :– 155/2021

प्रार्थीगण :–

1. कमलादेवी पत्नी नारायणराम
2. सुमित्रा देवी पत्नी नेमाराम
3. उर्मिला देवी पत्नी जगदीश
4. नेमाराम पुत्र हरीराम
5. जगदीश पुत्र हरीराम
6. भूराराम पुत्र नारायणराम निवासी नेवरी ढाणा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. उमा पुत्र मांगीया कौम मेगवंशी
2. देवा पुत्र मांगीया कौम मेगवंशी निवासी नेवरी ढाणा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित :– 1. श्री पूनमाराम चौधरी वकील प्रार्थीनी
2.श्री नारायण सिंह वकील विप्राथीगण

आदेश

दिनांक :–9.09.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:07:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 250 रकबा 9[illegible] बिस्वा सरहद मौजा नेवरी ढाणा पटवार क्षेत्र नेवरी, भू अभिलेख निरीक्षक [illegible] तहसील पचपदरा जिला बाडमेर की भूमि में आवागमन हेतु क[illegible] व [illegible] तक विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 549/251 रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा [illegible] फिट चौडाई में जो संलग्न नजरी नक्शा में परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल से मार्क ए से बी कटाण रास्वा व सडक आवागमन हेतु रास्ता के उपयोग हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है ।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गयी। विप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के वकील ने जबाब पेश हेतु अवसर दिये जाने पर जबाब पेश नहीं करने पर जबाब बंद किया गया। प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2073–76 व उक्त भूमि का लट्ठा ट्रेस प्रस्तुत किया । आवेदन के [illegible] के सम्बन्ध में तहसीलदार कल्याणपुर से मौका रिपोर्ट तलब की गयी

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी ।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत से राजकीय कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या –1 से 2 के खातेदारी खेत में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता इकलौता विकल्प है, जिसकी प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थी संख्या 1 से 2 द्वारा काश्त करके और बाड़ लगा कर उक्त रास्ता अवरूद्व किये जाने से प्रार्थीगण का आवागमन अवरूद्व हो जाता है । और उसे किसी कार्य हेतु संयंत्र और ट्रेक्टर आदि ले जाने में भारी असुविधा का सामना करना पडता है । अतः प्रार्थीगण के आवेदन के संलग्न

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बिन्दु संख्या ए से बी गैरमुमकिन रास्तें के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी होने से प्रार्थना प्रत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

विप्रार्थीगण के वकील ने प्रार्थीगण की बहस का किसी प्रकार का विरोध प्रकट नहीं किया गया।

हमने विद्ववान अधिवक्तागण की बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थीगण मौजा नेवरी ढाणा पटवार क्षेत्र नेवरी , भू अभिलेख निरीक्षक थोब तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा नम्बर 250 रकबा 99 बीघा 15 विस्वा का खातेदार है, जिस पर उसका कब्जा काश्त है। राजकीय कटाण मार्ग व सडक आवागमन एवं प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के मध्य विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत अवस्थित है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत से कटाण मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 549/251 रकबा 8 बीघा 08 विस्वा खातेदारी खेत अवस्थित रास्ते तक गुजरना पडता है । उक्त रास्ता विप्रार्थीगण द्वारा अवरूद्व किये जाने से प्रार्थीगण के सामने आवागमन की विकट समस्या खडी हो जाती है । तहसीलदार कल्याणपुर की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन का इकलौता विकल्प है। जिसकी प्रार्थीगण को अपरिहार्य आवश्यकता है । रिपोर्ट में बताया गया कि मौके पर पहुचने पर आपस में सहमती हो गयी है । सहमती अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया है।प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार खेत खसरा संख्या 5[illegible] रकबा 8 बीघा 8 विस्वा भूमि में से 20 फिट चौडाई में रा[illegible] थी [illegible] के अभिलिखित खातेदार आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी [illegible] उमा, देवा पुत्र मांगीया है । जबकि मौका फर्द रिपोर्ट के संलग्न [illegible] नक्शा व जमाबंदी अनुसार खसरा संख्या 628/251 जिसके अभिलिखित खातेदार [illegible]राम पुत्र मांगाराम है ने अपने खेत मे से 0–02 विस्वा क्षेत्रफल भूमि में रास्ता देने की मौका फर्द के अनुसार सहमती प्रकट की है । विप्रार्थी के खातेदारी खेत की डीएलसी दर 23531/– रूपये प्रतिबीघा है। उक्त दर से रास्ते में प्रभावित भूमि की डीएलसी दर की दुगनी राशि 4706/– चार हजार सात सौ छः रूपयें बनती है, जो प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 को अदा की जानी है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मौका फर्द अनुसार मौके पर पहुचने पर आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जा कर खसरा नम्बर 628/251 सरहद मौजा नेवरी ढाणा पटवार क्षेत्र नेवरी, भू अभिलेख निरीक्षक थोब तहसील पचपदरा जिला बाडमेर में से तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा जरिये पत्र कमाक–राजस्व/2020/652 दिनांक 17.8.2022 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 6.5.2022 अनुसार प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थी संख्या 2 को निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि रूपये 4706/– अदा करने, और उनके द्वारा नहीं लिये जाने पर राजकोष में जमा करवाये जाने पर खसरा संख्या 628/251 क्षेत्रफलः 1.0623 हैक्टर में से 0–02 विस्वा गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार कल्याणपुर को तद्नुसार राजस्व रेकर्ड एवं लट्ठा नक्शा में गैरमुमकिन

अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:07:44 IST
Reason: SelfAttested

रास्ते के रूप में सरकारी खाते में अमल दरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 6.05.2022 एवं प्रस्तावित नक्शा में चिन्हित किया गया प्रस्तावित रास्ता इस निर्णय का भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 09.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:07:44 IST
Reason: SelfAttested